आयोजनागत

संख्या-09/2016/588/18-4-2016-10(बजट)/07

प्रेषक,

आर0ए0 सिंह
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 29 मार्च,2016

विषय- त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 183/निर्यात-22/पत्रा-25/बजट/2015-16, दिनांक 21-03-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-18/2015/574/18-4-2015-10(बजट)/07 दिनांक 12-05-2015 के प्रस्तर-1 में अंकित योजना/उपमदों हेतु निम्नानुसार रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़) मात्र की धनराशि अनुमन्य की गयी है :-

क्र0सं0	योजना का नाम/उपमदें	धनराशि (लाख रू0 में)
1-	(अ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता	737.00
	(ब) राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता	40.00
2-	गेट वे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान	1200.00
3-	निर्यातकों की क्षमता का विकास	10.00
4-	अध्ययन सर्वे ब्राण्ड प्रमोशन एवं आंकडे उपलब्ध कराना।	2.00
5-	निर्यात पुरस्कार	11.00
	योग	2000.00

2- अतः आपके संदर्भित पत्र दिनांक 21-03-2016 में किये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 12-5-2015 में उल्लिखित कार्यो के स्थान पर निम्नांकित योजना/मदों के सम्मुख अंकित संशोधित धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0सं0	योजना का नाम/उपमदें	धनराशि (लाख रू0 में)
1-	(अ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता	537.00
	(ब) राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता	40.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2-	गेट वे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान	1400.00
3-	निर्यातकों की क्षमता का विकास	10.00
4-	अध्ययन सर्वे ब्राण्ड प्रमोशन एवं आंकडे उपलब्ध कराना।	2.00
5-	निर्यात पुरस्कार	11.00
	योग	2000.00

3-शासनादेश संख्या-18/2015/574/18-4-2015-10(बजट)/10, दिनांक 12-05-2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। संदर्भित शासनादेश दिनांक 12-05-2015 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-09/2016/588(1)/18-4-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-I)/सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4- कोषाधिकारी, कानपुर।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, लघु उद्योग अनुभाग-3/ नियोजन अनुभाग-4
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।